FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

नारायणराम बनाम रूकड़ी वगैराह

किस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं....26 .सन्..2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
09.07.2020	
प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है वकील प्रार्थी का एक पक्षीय सुना गया और वकील प्रार्थी को भी सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। आगामी पेशी तक बहक अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय कि जारी की जाती है कि मौजा हनुमानसागर (खटोड़ा) के खसरान 263, 143 / 502, 352 / 503, 126 / 504, 259 / 505 एवं 263 / 506 खसरान के वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण, रहन, निमार्ण न किया जावे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं की जावे, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाने हेतु अप्रार्थीगण को अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। **नोटः– उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा DILRMP पर प्रभावी नहीं होगी, उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक ही प्रभावी रहेगी।** अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 13.08.2020 पेश हो । (हस्ताक्षर) सहायक कलक्ट्रर खींवसर	
13/8 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित. 1104 [illegible] पेश। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 27/10 को प्रस्तुत हो।	
27/10/20 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 24/12/20 को प्रस्तुत हो।	
24/12/20 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 11/3/21 को प्रस्तुत हो।	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/3/22	

प्रतिवादीगण मय वकील के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादीगण मय वकील ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया की इस पक्षकारान को मध्य राजीनामा हो चुका है इस लिये इस उक्त प्रा.पत्र को [illegible] विड्रोल (वापिस) करना चाहते है। इसमें मूल वाद को (वापिस) करवा लेना है। अतः प्रतिवादीगण एवं वकील के निवेदन पर उक्त रजा स्वीकार की जाती है तथा प्रतिवादीगण का उक्त प्रा.पत्र [illegible] विड्रोल (वापिस) किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
SDO, खींवसर